रक्षोपाय महानिदेशालय
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क
राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
दूसरी मंजिल, भाई वीर सिंह साहित्य सदन,
भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्केट,
नई दिल्ली-**110001**

फ॰स.19011/22/2016

दिनांक :- 15/05/2017

निविदा सूचना

रक्षोपाय महानिदेशालय केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, दूसरी मंजिल, भाई वीर सिंह साहित्य सदन , भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली-110001 में कार्यालय प्रयोग हेतु किराए पर गाडियाँ सप्लाई करने वाली नामावरी एजेंसियों द्वारा मुहरहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है ऐसे संबंध पक्ष । एजेंसी जिनके पास सरकारी दफ्तरों में गाड़ी सप्लाई करने का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव हो वह दोहरी निविदा पद्धति के आधार पर तकनीकी और वित्तीय निविदा, दो अलग-अलग मुहरबंद लोफाफों में कार्यालय में जमा करें । वित्तीय निविदा एवं तकनीकी निविदा लिखे हुए लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में , जिसके ऊपर" भाड़े की कारें हेतु निविदा" लिखा हो, कार्यालय प्रमुख –सहायक आयुक्त, रक्षोपाय महानिदेशालय केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, दूसरी मंजिल, भाई वीर सिंह साहित्य सदन , भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली-110001 के नाम दिनांक 05.06.2017 तक 12 . 00बजे तक जमा करा देने चाहिए। निविदा उसी दिन 15. 00 बजे खोली जाएगी। निर्धारित समय के बाद प्राप्त आवेदन को पूर्णत: खारिज कर दिया जायेगा।

संविदा का वितरण इस महानिदेशालय के वैबसाइट एवं CBEC वेबसाइट www.cbec.gov.in पर उपलब्ध है। उपेक्षित गाड़ियों का विवरण निम्नानुसार है

क्रम संख्या	श्रेणी	संख्या	टिप्पणी
1.	कोई मध्यम आकार की गाड़ी; यथा:-सियाज़,अल्टिस,वर्णा आदि (वातानुकूल) प्राथमिक रूप से सफ़ेद सिदान	03	माह के 30- 31दिन और 2500km के प्रयोग हेतु।
2.	कोई मध्यम आकार की गाड़ी; यथा:-सियाज़,अल्टिस,वर्णा आदि बगैर ए.सी सफ़ेद सिदान	04	माह के 25 दिन और 2000km के प्रयोग हेतु।

टेंडर का विवरण –

1. भाड़े पर लिए जाने की अवधि- 01.07.2017 से 30.06.2018 तक।
2. तकनीकी निविदा का संरूप (अनुलग्नक ए मे संलग्न)निविदानुसार द्वारा जमा करने हेतु।
3. वित्तीय निविदा का संरूप (अनुलग्नक बी मे संलग्न) निविदाकार द्वारा जमा करने हेतु।
4. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि – 05.06.2017 को 12.00 बजे तक
5. निविदा खोले जाने की तिथि 05.06.2017 को 15.00 बजे

(कृष्ण मोहन)
सहायक आयुक्त(प्रशासन)

प्रतिः-

सी बी ई सी वैबसाइट

रक्षोपाय वैबसाइट

सूचना पट्ट

टेंडर करते समय हर निविदा कार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि -

(I)शर्तों का व्योरा इस प्रकार है:-

क प्रस्तुत किए गए दर प्राथमिक रूप से व्यवसाय हेतु पंजीकृत गाड़ियों का अथवा क्रम संख्या 1 व 2 के संदर्भ मे नई या अधिकतम 3 साल पुरानी होना चाहिए। गाड़िया अंदर एवं बाहर से साफ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए चालू हालत में होनी चाहिए जिसे भाड़े कि अवधि समाप्त होने तक कायम रखा जायेगा

ख शून्य के आधार पर मीलवार की गणना की जाएगी अथार्थ किलोमीटर की गणना ड्यूटी स्थल से शुरू करने से ड्यूटी खत्म होने के स्थान तक की जाएगी।

ग निविदा कार एवं गाड़ियों का मालिक होना चाहिए । सभी गाडियाँ यथावत पंजीकृत एवं उपयुक्त रूप से प्राधिकृत होनी चाहिए।

घ निविदाकार सेवा कर विभाग मे पंजीकृत होना चाहिए और उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए प्रस्तुत दरों के ऊपर यदि सेवा प्रदाता पृक्त गाड़ियों का सेवा कर भरे जाने हेतु प्रूफ देता तो सेवा कर दिया जायेगा।

ङ गाड़ियाँ रक्षोपाय महानिदेशालय के अधिकारियों के दिल्ली अथवा एनसी आर मे प्रयोग हेतु मौजूद होनी चाहिए। समानतः गाड़ियों का प्रयोग सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक किया जाएगा । तथापि संबन्धित अधिकारियों की इच्छा एवं आवशयकता अनुसार कार्यालय के काम हेतु किसी भी दिन एवं समय गाड़ी का प्रयोग किया जा सकता है

च गाड़ियों को पूर्ण पेट्रोल /डीज़ल सहित हर रोज़ तैयार रखना चाहिए। तथापि यदि ईंधन की कमी की वजह से कोई अधिकारी अपने पैसे से ईंधन भरवाता है तो सेवा प्रदाता बिल प्रस्तुत किए जाने पर 3 दिवसों के अंदर उस राशि की प्रतिपूर्ति करेंगे ।

छ बिल अनुपूर्ति माह की पाँचवी तारीख तक हर माह तीन प्रतियों में प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ) के पास जाम किया जाना चाहिए।

ज भाड़े पर दी गई गाड़ियों को भारत मे चलाये जाने हेतु सभी क़ानूनों के तहत अनुकूल होना चाहिए।

झ ड्राईवर को संवाद कुशल, सड़क दिल्ली/ एन सी आर की सड़कों का ज्ञान, ठीक दृष्टि वाला एंव बुरी आदतों से दूर हो चाहिए। गाड़ी चलाते वक्त उसके पास लाइसेंस एंव अपनी वर्दी होनी चाहिए। कार्यालय की ड्यूटी करते समय उसे शिष्टाचार एंव प्रोटोकॉल का पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए साथ ही चालू हालत वाला मोबाइल फोन रखना होगा जिसकी लागत वह स्वयं वहन करेगा उसे हमेशा गाड़ी के पास तैनात रहना होगा और किसी आपातकालीन स्थिति में अधिकारी से आज्ञा प्राप्त करना होगा।

ञ ड्राइवर या निविदाकर्ता को अपने पास यात्राएं नोट करने हेतु एक लाग बुक रखनी होगी। सेवा प्रदाता को गाड़ी के पंकीकरण के प्रमाण-पत्र, गाड़ी बीमा पॉलिसी के प्रमाण पत्र , ड्राईवर के लाइसेंस इत्यादि की फोटोकोपी टेंडर प्राप्त होने के दस दिन के अंदर निरीक्षक (हेडक्वार्टर) के पास जमा करानी होगी । गाड़ियों को भारत सरकार के प्रदूषण नियंत्रक अधिनियमो का पालन करना होगा।

ट भाड़े पर ली गई गाड़ियों को किसी और कार्य हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और वह पूर्णतः कार्यालय की निगरानी मे रहेगी।

ठ गाड़ियों का दैनदिन सुचारु प्रकार हेतु सेवा प्रदाता अपनी इच्छा अनुसार गाड़ी एवं ड्राईवर नहीं बदलेगा जब तक की ऐसा करने का आदेश उसे कार्यालय द्वारा न दिया जाये।

ड सेवा प्रदाता सभी लागू मजदूर क़ानूनों का अनुपालन करेगा और इस संदर्भ में सभी उतरदायित्वों को वहन खुद अथवा अगला निविदाकार करेगा

ढ दुर्घटना के कारण हुए खर्चो नुकसान का वहन सेवा प्रदाता द्वारा किया जायेगा ।

ण यदि सेवा प्रदाता अथवा उसके ड्राईवरों उसके कर्मचारी द्वारा कोई लापरवाही जैसे दुर्घटना, किसी व्यक्ति को चोट सार्वजनिक संपति की हानी या नुकसान किसी व्यक्ति की जान/माल को हानी पाहुचाई जाती है तो उस आहत व्यक्ति द्वारा किए गए दावे, मांगे, नुकसान की भरपाई और विभाग को क्षतिपूर्ति का दायित्व सेवा प्रदाता का होगा। विभाग किसी भी नैतिक, वैधिक अथवा अन्य कारणों से सेवा प्रदाता के कर्मचारियों को सेवा ठेका के दौरान अथवा बाद में नौकरी पर रखने हेतु बाध्य नहीं होगा यह कार्यालय ठेका की अवधि के दौरान गाड़ी अथवा ड्राईवर को कोई हुई हानि की भरपाई हेतु बाध्य नहीं होगा।

त गाड़ी मे यदि किसी प्रकार की तकनीकी खराबी आती है तो द्रुत गति से सेवा प्रदाता द्वारा उसे बदला जाना अपेक्षित है। समय पर गाड़ी के न पहुँचने की सूरत मे प्रतिदिन 1000 रुपये का दंड कार्यालय द्वारा लगाया जाएगा और यह राशि सेवा प्रदाता के वेतन में से घटा लिया जायेगा ।

थ इस कार्यालय को छूट है की यदि ड्राईवर अशिष्ट व्यवहार करता पाया गया तो हर बार 500 रूपय का दण्ड उस पर लगाया जाए।

द इस कार्यालय को छूट है की 15 दिन के नोटिस पर बगैर कारण घोषित किए सेवा प्रदाता की सेवाओं को निरस्त कर दे।

ध निरीक्षक (हैडक्वार्टर) द्वारा कार्यालय की गाड़ियों के प्रयोग पर निगरानी रखी जाएगी , जिसका मिलान वह ड्राईवर की लॉग – बुक से समय – समय पर करेंगे।

न दिल्ली / एन सी आर में गमन करते समय यदि कोई कर / चुंगी इत्यादि देय होती है तो उसका वहन सेवा प्रदाता द्वारा किया जाएगा

प महानिदेशालय, रक्षोपाय इस शर्तों के अतिरिक्त सेवा प्रदाता पर कोई अन्य नियम/ शर्त लागू करने हेतु स्वतंत्र है और सभी निविदाओं को पूर्णतः बगैर कारण बताए खारिज कर सकते हैं।

फ महानिदेशालय, रक्षोपाय का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

ब किसी विधिक मतभेद की परिस्थिति में नई दिल्ली न्यायालय का फैसला लागू होगा

2) कंपनी/ फार्म के दायित्व-

संविदा को जमा करने हेतु कंपनी/ फार्म के दायित्व निम्नानुसार हैं –

क) निविदाकार को पहले स्वयं को अनुबंध की शर्तों से संतुष्ट करना होगा। उसके द्वारा अल्पसूचित होना स्वीकार्य नहीं होगा । निविदा जमा करने के उपरांत निविदाकार का अनुबंध की किसी भी शर्त को बदले जाने हेतु सुझाव देना वर्जित होगा और यह समझ लिया जाएगा की निविदा जमा करने के पूर्व दस्तावेज़ की शर्तों को ठीक से पढ़ के समझा जा चुका है।

ख) निविदा मे किसी भी प्रकार का परिशिष्ठ अथवा परिवर्तन आध्यक्षर अधिलेखन एंव तिथि सहित विधिवत अधिप्रमाणित होना चाहिए। निविदा दस्तावेज़ में अधिलेखन वर्जित है

ग) प्रपत्र प्राथमिक रूप से अंग्रेजी/ राजभाषा में स्याही से हाथ से भरा होना चाहिए।सभी संख्याएं अंको अथवा शब्दों में भरी जानी चाहिए।

घ) प्रत्येक निविदा दस्तावेज़ जमा करने वाले द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और उसका नाम एंव पद स्पष्ट अक्षरों में दिखना चाहिए।

ड) किसी फार्म/ कंपनी के निमित यदि निविदा जमा किया जा रहा है। तो उसमे सभी साझेदारों या ऐसा साझेदार जिसके पास फर्म की आवश्यक अधिकारिता हो , के हस्ताक्षर होने चाहिए ।

3) गाड़ियों में निम्नलिखिद्त वस्तुएँ उपलब्ध होनी चाहिए।

i साफ सुथरे सीट कवर
ii कार के फर्श पर कालीन
iii पायदान
iv पढ़ने हेतु लैम्प (पीछे की सीट पर)
v कार परफ्यूम
vi टिशू का डिब्बा
vii मानसून में छतरी
viii मोबाइल चार्जर
ix दिल्ली रोड का नक्शा
x फायर सिलिंडर

गाड़ियाँ हमेशा साफ और अच्छी हालत में दिखनी चाहिए। अंदर एंव बाहर से पूर्णतः साफ। डिक्की खाली और ड्राईवर के किसी भी प्रकार के उपयोग की वस्तुए उसमे नहीं होनी चाहिए।

समय समय पर कार्यालय द्वारा गाड़ियों की स्थिति का निरीक्षण किया जाएगा।

4) **बीमा** – भाड़े पर दी गई गाड़ी का वैध आर सी, बीमा पॉलिसी, पी यू सी एंव रोड टैक्स कागज़ होने चाहिए। रक्षोपाय महानिदेशाली ड्राईवर की तैनाती के समय हुए किसी भी दुर्घटना अथवा सार्वजनिक संपति की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। सर्विस प्रदाता किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होगा एवं इस कार्यालय के कोई भी अधिकारी /स्टाफ की कोई भी जिम्मेदार नहीं होगी ।

5) **लॉग बुक** – हर ड्राईवर को प्रत्येक गाड़ी के लिए एक लॉग बुक उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक दिन ड्राईवर उसमें आवागमन संबंधी प्रविष्टियाँ करेगा और संबन्धित अधिकारी जो अधिकृत किए गए हो, से हस्ताक्षर करवाएगा। बिल पास करते समय और इसके अलावा भी कार्यालय द्वारा लॉग बुक चैक की जायेगी।

6) **खराबी** – गाड़ी के खराब होने की स्थिति मे किसी अन्य गाड़ी का इंतज़ाम किया जाना चाहिए। यदि सेवा प्रदाता ऐसा करने मे असक्षम रहा तो बाज़ार से प्रयोग हेतु भाड़े पर गाडी बुलाई जायेगी और उसको देय राशि कोंट्रेक्टर के मासिक बिल मे से काट ली जायेगी।

7) **हर्जाना** – सेवा प्रदाता के किसी दौरान हुई क्षति के प्रति रक्षोपाय महानिदेशालय जिम्मेदार नहीं होगा। यदि किसी स्थिति में कार्यालय के आचरण आठवा फलत चलाने हेतु कुछ वितीय खर्चा वहाँ करना पड़ता है तो उसकी भरपाई सेवा प्रदाता के मासिक बिल से की जायेगी

8) **गाड़ी अथवा ड्राईवर को बदला जाना** – ठेके के दौरान सेवा प्रदाता द्वारा जो गाड़ी और ड्राईवर इस कार्यालय में दिया गया है। वह बदला नहीं जाएगा। यधपी अगर परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर है और ऐसा करना आवश्यक है। तो सेवा प्रदाता पहले लिखित में कार्यालय को कारण बताएगा और सूचित करेगा। महानिदेशक रक्षोपाय इस सेवा प्रदाता पर जुर्माना लगाने हेतु स्वतंत्र है।

9) **निविदा खोलना**- तकनीकी निविदा 3.00 बजे दिनांक 05.06.2017 को खोली जाएगी। जिन फार्म कंपनियों की व्यावसायिक निविदा उपयुक्त पाई जाएगी उन्हे उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष तकनीकी जांच के उपरांत यथासमय सूचित करने के बाद खोला जाएगा।

जिन बोली लगाने वालो की पूर्व के किसी निविदा प्रक्रिया में बयाना राशि पर जुर्माना लगा पाया गया उन निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे निविदाकार को इस संबंध में इस कार्यालय को नोटरीकृत अंडरटेकिंग देनी होगी ।

महानिदेशक रक्षोपाय के अधिकार अनुसार , निविदा खोले जाने के 90 दिनों तक निविदा मान्य होनी चाहिए। यदि महानिदेशक रक्षोपाय चाहें, तो निविदा मान्यता अवधि बढ़ाई जा सकेगी ।

10) <u>निविदा का मूल्यांकन</u>

तकनीकी निविदा का मूल्यांकन इस कार्य हेतु गठित सक्षम समिति द्वारा किया जायेगा।

यदि अवश्यकता हुई तो कंपनी को किन्ही स्पष्टीकरण हेतु बुलाया जा सकता है। यदि कंपनी का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ तो उसकी निविदा समिति द्वारा खारिज कर दी जायेगी। तकनीकी रूप से सक्षम निविदा के लिए ही उनकी वित निविदा खोली जाएगी ।

निविदाकर्ता को अतिरिक्त तय की गई दूरी, घंटे , रात्रि विश्राम हेतु लिया जाने वाला शुल्क अलग से दिखाना चाहिए ।

11) महानिदेशक रक्षोपाय निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन कर सकते है और कारण बगैर बताए निविदा खारिज कर सकते है साथ ही एक से अधिक सेवा प्रदाताओं को रख सकते है न्यूनतम दर देने वाले निविदाकार की निविदा मान्य होगी, ऐसा करने हेतु वह बाध्य नहीं है।

12) महानिदेशक (रक्षोपाय) को निविदा दस्तावेज़ के किसी भी शर्त को बदलने व बगैर पूर्व सूचना, किसी भी समय बदलने, वापस लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है

- हिन्दी प्रारूप में कोई भी त्रुटि होने पर अँग्रेजी प्रारूप मान्य होगा ।

तकनीकी निविदा

अनुलग्नक-अ

निविदाकार का नाम, पता टेलीफोन नंबर – अधिष्ठाता/ पार्टनर/ मालिक का नाम, पता टेलीफोन नंबर –

तकनीकी निविदा हेतु विशेष मानदंड –

1. गाड़ी पर मेरा स्वामित्व प्राप्त है- हाँ /ना
2. गाड़ी व्यवसाय हेतु पंजीकृत है- हाँ /ना
3. निविदा मेन प्रस्तुत गाड़ी की आर सी बुक की छाया प्रति संलग्न की है- हाँ /ना
4. हमारेपास वैध सेवा कर पंकीकृत है हाँ /ना
5. हमने सेवा कर पंजीकृत की छाया प्रति संलग्न की है- हाँ /ना
6. हमारे पास पैन कार्ड है- हाँ /ना
7. हमने पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न की है – हाँ /ना

अतिरिक्त मूल्यांकन के मानदंड-

1. व्यवसाय हेतु पंजीकृत गाड़ियों की संख्या(संख्या भरें)
2. रक्षोपाय महानिदेशालय में भाड़े पर दी जा रही गाड़ियों का पंजीकरण संख्या, वर्ष ,माडल ।

क्र.	वाहन तथा मॉडल (संख्या)	पंजीकरण संख्या	पंजीकरण वर्ष	वाहन का प्रकार
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

3. केंद्र / राजी सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कार्यालयो में हमारे द्वारा यदि 6 माह से अधिक किसी को भाड़े पर गाड़ी दी गई है। (हाँ /ना)
4. यदि मद्व संख्या 3 का उत्तर हाँ है तो ऐसे कार्यालयो का नाम,पता एवं संविदा पत्र की प्रति लगाये।

मैंने निविदा सूचना की सभी शर्तों को पढ़ लिया है और वह मुझे मान्य है ।

-हस्ताक्षर

-निविदाकार के निमित अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम-

मुहर/ठप्पा

वित्तीय निविदा

अनुलग्नक-ब

निविदाकार का नाम,

पता

टेलीफोन नंबर :

सेवा कर पंजीकरण नंबर

प्रति गाड़ी का दर(सेवा कर को छोड़ के)

गाड़ी की श्रेणी	**संख्या**	**रूपय मे दर**	**अतिरिक्त किलोमीटर का दर**
1.कोई मध्यम आकार की गाड़ी; यथा:-सियाज़,अल्टिस,वर्णा आदि (वातानुकूल) प्राथमिक रूप से सफ़ेद सिदान माह के30 - 31दिन और 2500km के प्रयोग हेतु। (नयी या अधिकतम 3 साल पुरानी बिना किसी दुर्घटना इतिहास के)	03 (तीन)		
2 कोई मध्यम आकार की गाड़ी; यथा:-सियाज़,अल्टिस,वर्णा आदि समरूप गाड़ी बगैर ए.सी,. सफ़ेद सिदान माह के 25 दिन और 2000km के प्रयोग हेतु।(नयी या अधिकतम 3 साल पुरानी बिना किसी दुर्घटना इतिहास के)	04(चार)		

"मैंने निविदा सूचना की सभी शर्तों को पढ़ लिया और वह मुझे मान्य है"

हस्ताक्षर

निविदाकार के निमित अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता का नाम/–

मुहर /ठप्पा –